समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

-: आदेश :-

दिनांक- 29.01.15 का आवेदिका सुशीला देवी पति- कैलाश चौधरी, ग्राम पं0-भेलवा वार्ड न0-04, प्रखण्ड- गम्हरिया, जिला- मधेपुरा द्वारा जिला जनता दरवार में आवेदन समर्पित किया गया। आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रखण्ड- गम्हरिया, ग्राम पं0- भेलवा वार्ड न0-04 के सेविका चयन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गम्हरिया द्वारा मनमानी किया जा रहा है एवं रंजू देवी पति- राजदेव यादव द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किया गया परित्याक्ता प्रमाण पत्र फर्जी है। जिसके संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा पत्रांक-89, दिनांक-23.02.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वार्ड न0-04 की अभ्यर्थी श्रीमती रंजू कुमारी, पति- राजदेव यादव द्वारा सेविका पद पर नियोजन हेतु गलत परित्याक्ता प्रमाण-पत्र बनाकर समर्पित किया गया। जिसकी जाँच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याहन भोजन) मधेपुरा एवं तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा की गई। जाँच में परित्याक्ता प्रमाण-पत्र गलत पाया गया।

पुनः जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिला प्रोग्राम शाखा, मधेपुरा के पत्रांक-1126/प्रो0 दिनांक-28.08.15 द्वारा अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को संबंधित मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा नें पत्रांक-842, दिनांक-22.12.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ जिलाधिकारी महोदय को समर्पित किया गया। जाँच **प्रतिवेदन में कमांक- v एवं vi में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि सुशीला देवी का चयन करने के लिए तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा हेराफेरी किया गया है। रंजू कुमारी के जिस परित्याक्ता प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया उसमें परित्यकता का बोनस अंक तो जोड़ा ही नहीं गया, रंजू कुमारी का कुल मेधा अंक 66 प्रतिशत् होता है, जो सुशीला देवी के प्राप्त मेधा अंक 63.70 से अधिक है। इसके बाद अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा श्रीमती सुशीला देवी, पं0- भेलवा, वार्ड न0-04 प्रखण्ड- गम्हरिया, जिला-मधेपुरा के चयन पत्र को रद्द करते हुए पुनः आमसभा की बैठक बुलाने एवं रंजू देवी, पति- राजदेव यादव के आवेदन पर विचार करने का निदेश दिया गया।** साथ ही तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया के विरूद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

तत्पश्चात् अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा के जाँच प्रतिवेदन एवं सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 10 की उप कंडिका 10.2 एवं 10.3 के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गम्हरिया से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम शाखा, मधेपुरा के ज्ञापांक-124, दिनांक- 25.01.16 एवं ज्ञापांक-160, दिनांक-04.02.16 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया नें पत्रांक-220/2, दिनांक-10.02.16 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया।

स्पष्टीकरण में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया ने प्रतिवेदित किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरिया के स्वास्थ्य प्रबंधक से श्रीमती सुशीला देवी पति– कैलाश चौधरी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र माँगने पर स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा शैक्षणिक मूल संचिका उपस्थापित करने में असमर्थता जतायी गई।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमती सुशीला देवी, पति– कैलाश चौधरी, पं0–भेलवा, वार्ड नं0–04, प्रखण्ड– गम्हरिया, जिला– मधेपुरा के चयन को रद्द किया जाता है तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया को आदेश दिया जाता है कि पुनः नियमानुसार आम सभा कराकर सेविका का चयन करना सुनिश्चित करें।

(जिलाधिकारी, मधेपुरा का आदेश संचिका सं0–xii-03/2015 टिप्पणी पृष्ट सं0–13/टि0 के आदेशानुसार)

इसकी आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक..733.../प्रो0 दिनांक..13../.06.2016

प्रतिलिपिः– श्रीमती सुशीला देवी, पति– कैलाश चौधरी, पं0–भेलवा, वार्ड नं0–04, प्रखण्ड– गम्हरिया, जिला– मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– रंजू देवी, पति– राजदेव यादव, पं0– भेलवा, वार्ड न0–04, प्रखण्ड– गम्हरिया, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गम्हरिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13.06.16

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
मधेपुरा